>

Title : Need to issue strict guidelines to states including Madhya Pradesh not to change name of roads constructed under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारतवर्ष के लिए और भारत के गांवों में रहने वाली देश की आबादी के 70 प्रतिशत लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण योजना है जिसमें ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों की योजना संचालित की जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन (एक वर्ष में) का रोजगार मुहैया कराती है। साथ ही ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने में भी इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश में गाँव से गाँव को जोड़ने वाली और गांव को स्रोत से जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों पर पूर्ण रूप से एक आदेश जारी कर रोक लगा दिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि अब गांवों से गांवों को जोड़ने वाली ये सड़कें मुख्यमंत्री सड़क कहलाएगी। इस तरह मनरेगा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री के नाम पर किया जाना एक संवैधानिक अपराध है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है क मध्य प्रदेश सरकार सहित देश की सभी राज्य सरकारों को इस योजना का नाम नहीं बदले, इस हेतु कड़े निर्देश जारी करें।